राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 262/2015

नरेन्द्र कुमार मारवाल

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर, झुन्झुनू।
3. सब डिविजन ऑफिसर, झुन्झुनू।
4. निदेशक, निदेशालय, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, ज्योतिनगर, जयपुर।
5. सहा.निदेशक, निदेशालय, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, ज्योतिनगर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 24.11.2023

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री सूर्यप्रकाश, अभिभाषक

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 05.04.2012 को चुनौती दी गयी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में पूर्व में जारी तृतीय एसीपी के लाभ को निरस्त किया गया है और अपीलार्थी से वसूली के आदेश पारित किये गये है। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी ने पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 6540/2014 नरेन्द्र कुमार मारवाल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य प्रस्तुत की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिनांक 15.07.2014 दिया था। उक्त रिट याचिका में अपीलार्थी की ओर से आदेश दिनांक 05.04.2012 को चुनौती दी गयी थी और इसी आदेश को वर्तमान अपील में भी अधिकरण के समक्ष चुनौती दी गयी है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका में आदेश दिनांक 15.07.2014 में निम्न प्रकार से आदेश पारित किया गया था :–

> "Having regard to the facts of the case, writ petition is disposed of requiring the petitioner to make a representation to respondent no.1 the Principal Secretary to the Government, Department of Revenue, Government Secretariat, Jaipur, along with a copy of this order, who shall, after verifying the facts of the case, consider and decide the representation by a speaking order within a period of two months from the date of its making, addressing the grievance of the petitioner or otherwise give reasons.

> If still the petitioner feels aggrieved by decision of the respondent no.1 on his representation, he would be at liberty to approach the Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal, as this matter is covered under 'service matter' as defined in section 2(f) of the Rajasthan civil services (Service Matter Appellate Tribunals) Act, 1976.
>
> This also disposes of stay application."

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसे निर्णित करने के आदेश दिये थे, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को निर्णित नहीं किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21.08.2014 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अपना अभ्यावेदन विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया था, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने स्पीकिंग ऑर्डर से अपीलार्थी का अभ्यावेदन निस्तारित नहीं किया है, जिस कारण से अपीलार्थी ने यह अपील इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की है। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय ने पूर्व में प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन को निर्णित करने के लिये एक स्पष्ट आदेश दिया है और प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब में यह प्रकट नहीं किया गया है कि प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन को निर्णित किया हो। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को अभी तक निर्णित नहीं किया गया है। ऐसे में हम यह आदेश देना उचित पाते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अपीलार्थी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर सर्वप्रथम प्रत्यर्थी संख्या–1 स्पीकिंग ऑर्डर पारित करें। इसके पश्चात अपीलार्थी आवश्यक होने पर इस अधिकरण के समक्ष अपनी अपील प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।

3. प्रत्यर्थी विभाग इस अधिकरण द्वारा दिये गये उक्त आदेश की प्राप्ति के दो माह में अपीलार्थी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार निस्तारित करें। इस आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)